नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय : इन्दौर

MSME POLICY

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (MSME) क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षेत्र (95%) में से 45% का हिस्सेदार है, को देश की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा गया है। यह लगभग 60 लाख लोगों के रोजगार का स्त्रोत है एवं कृषि क्षेत्र के बाद देश का सबसे बड़ा रोजगार स्त्रोत है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास विविधीकरण के लिए उद्यमशीलता आवश्यक है जोकि देश की अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार को गहराई प्रदान करता है तथा रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है। इसमें प्रति व्यक्ति कम पूंजी निवेश की आवश्यकता/लागत आती है। हमारा बैंक प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उद्यमशीलता के विकास हेतु प्रतिबध्द है।

2. भारत सरकार द्वारा माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यत विकास (MSMED) अधिनियमक 2006 को अधिनियमित किया है जो 02 अक्टोबर 2006 को अधिसूचित हो गया है।

3. सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो की परिभाषा :

MSME के तहत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्यम आते हैं जोकि उत्पादन प्रसंस्करण एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरणों में निवेश के स्तर से श्रेणी निर्धारण किया जाता है। यह निवेश प्लांट एवं मशीनरी की मूल लागत के आधार पर तय किया जाता है।

a. सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises) –

उत्पादन/संरक्षण/प्रसंस्करण उद्यमः प्लांट व मशीनरी में निवेश रू. 25.00 लाख से अधिक नहीं हों।

सेवा क्षेत्र उद्यम : उपकरणों में निवेश रू.10.00 लाख से अधिक नही हो।

b. लघु उद्यम (Small Enterprises) –

उत्पादन/संरक्षण/प्रसंस्करण उद्यमः प्लांट व मशीनरी में निवेश रू. 25.00 लाख से अधिक किन्तु रू. 5.00 करोड़ से अधिक नहीं हो।

सेवा क्षेत्र उद्यम : उपकरणों में निवेश रू.10.00 लाख से अधिक किन्तु रू.02.00 करोड़ से अधिक नहीं हो।

c. मध्यम उद्यम (Medium Enterprises) –

उत्पादन/संरक्षण/प्रसंस्करण उद्यमः प्लांट व मशीनरी में निवेश रू.5.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू. 10.00 करोड़ से अधिक नहीं हो।

सेवा क्षेत्र उद्यमः उपकरणों में निवेश रू.02.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू.05.00 करोड़ से अधिक नहीं हो।

उपर उल्लेखित संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरणों में निवेश की गणना उसकी मूल कीमत से ही आंकी जाएगी चाहे संयंत्र में पुरानी (Second Hand) मशीनरी/नई मशीनरी का उपयोग किया जा रहा हो। साथ ही आयातित मशीनरी/उपकरण के मामलों में समस्त शुल्क/प्रभार उनके लागत मूल्य में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संयंत्र स्थापना लागत, भण्डारण, सुरक्षा, बैंक ऋणों पर हुए व्यय आदि समस्त भुगतान मूल निवेश की गणना में शामिल होंगे।

किन्तु उद्योगों की मूल लागत में भूमि, भवन और फर्नीचर एवं जुडनार के सभी व्यय जो कि सेवाओं के लिए सीधे संबंधित नहीं है, मूल लागत में शामिल नहीं हैं।

तदनुसार MSME की परिभाषा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यम शामिल रहेंगे। सूक्ष्म उद्यमों Micro Enterprise में अतिसूक्ष्म (Tiny) उद्यम भी शामिल होंगे।

भारत सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक S.O.1642 (E) दिनांक 29 सितम्बर 2006 एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक S.O.1642 (F) दिनांक 27 फरवरी 2009 अनुसार "Small Scale Industries" शब्द को "Micro and Small Enterprises" से प्रतिस्थापित किया गया है।

मध्यम उद्यमों (विनिर्माण) से आशय मध्यम उद्योग (Medium Industries- MIs) से है। तथा लघु तथा मध्यम उद्यमों (सेवाएं) से आशय अन्य लघु तथा मध्यम श्रेणी उद्यमों से है।

4. वे समस्त ऋण, स्वीकृत सीमा कोई भी हो (Irrespective of sanction limit), जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों जो उत्पादन एवं विनिर्माण गतिविधि से जुड़े उद्योग हेतु प्रदान किए गए हैं, इसमें सावधि जमा रसीदों एवं शासकीय प्रतिभूतियों के विरूध्द दिया गया व्यावसायिक ऋण भी शामिल है, एवं जल परिवहन व सेवाओं से जुड़े लघु उद्यमों एवं व्यवसायों को Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) में ही शामिल किया जावेगा, जोकि उपराक्त शर्तों को पूरा करते हैं। किन्तु निवेश की सीमा से अधिक निवेश वाले उद्यमों को बड़े उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जावेगा और वे MSME के दायरे से बाहर होंगे। MSME में उद्यमों को स्वीकृत ऋण सीमा पर निजी खुदरा व्यवसायी हेतु रू.20.00 लाख को छोड़कर कोई बंधन लागू नहीं होंगे एवं वे सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल होंगे तथा मध्यम एवं बड़ें उद्यम इस दायरे से बाहर होंगे।

5. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के कार्य क्षेत्र एवं जिले में क्षेत्र की प्रमुख गतिविधि के आधार पर शाखा विशेष को एवं क्षेत्र विशेष हेतु जिले में आवश्यकतानुसार MSME गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु MSME केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं। शाखाओं से आवेदन एवं प्रस्ताव प्राप्त कर एकल खिड़की concept के आधार पर स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है, जिससे कि MSME क्षेत्र के खातों की निगरानी को भी सुदृढ़ एवं सुगठित स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा। शाखा स्तर से अधिक की ऋण सीमा वाले प्रस्ताव इन केंद्रो पर प्रसंस्करित एवं स्वीकृत किए जा सकेंगे।

6. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार हमारी बैंक के द्वारा वितरित कुल ऋणों का 60% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित किया जाना चाहिए तथा 15% कमजोर वर्ग हेतु निवेश किया जाना चाहिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से MSME हेतु 10% निवेश होना चाहिए, इसका 40% निवेश MSME उद्यमो में रू.5.00 लाख तक की माइक्रो सूक्ष्म विनिर्माण इकाईयों एवं रू. 2.00 लाख तक की सूक्ष्म सेवा इकाईयों/उद्यमों में संयंत्र एवं मशीनरी स्थापना में निवेश किया जाना चाहिए। MSME क्षेत्र में निवेश का 20% निवेश लघु इकाईयों विनिर्माण रू. 25.00 लाख तक तथा सेवा रू. 10.00 लाख तक की इकाईयों में किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार MSME क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु प्रति अर्धशहरी शाखा द्वारा प्रति वर्ष 5 नई सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों में निवेश किया जाना चाहिए जो कि सामान्यतया 7–10 वर्षो में अदा होने वाले मियादी ऋणों के रूप में हो।

7. MSME क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित उधार दृष्टिकोण, व्ययों एवं निहित जोखिमों को कम रखने में उपयोगी भूमिका निभा सकता है। अतः राज्य शासन द्वारा प्राप्त /निर्धारित अच्छे SEZ /औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान कर SEZ निवेश किया जाना उचित होगा। ऐसे अर्धशहरी क्षेत्र में स्थित शाखाओं/क्षेत्रों में SEZ केन्द्रो का विकास किया जाना उचित होगा।

8. साख अधिग्रहण (Credit acquisition) :

अन्य बैंको से प्रतियोगिता के दौर में प्राथमिक एवं प्रत्यक्ष साख के उत्तम श्रेणी के मानक ऋण खातों के अधिग्रहण पर भी विचार किया जा सकता है। बशर्त कि वे खाते :–

i. SBS मॉडल रेटिंग के तहत 'AAA' रेटिंग की पात्रता रखते हैं।
ii. उन्हें नए खातों की तरह 'AA' स्तर की सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।
iii. ऐसे ऋण खातों का वर्तमान बैंक में ऋण खाता मानक श्रेणी में होना चाहिए।
iv. उद्यम/उद्योग के द्वारा विगत 3 वर्षो से सतत् मुनाफा अर्जित किया जाता रहा हो तथा बिक्री में सतत् वृध्दि दर्ज की जाती रही हो।
v. वित्तीय विवरणियों के विश्लेषण पर न्यूनतम वित्तीय अनुपान होना चाहिएं –

Debt Equity Ratio (DER) : **4:1** (रू.5.00 करोड़ तक cash credit सुविधा के खातों में)
Debt Equity Ratio (DER) : **3:1** (रू.5.00 करोड़ से अधिक के cash credit सुविधा के खातों में)
Current Ratio : **1.33:1** (रू. 5.00 करोड़ की सीमा तक जहां एकमात्र Turn Over method लागू है)
Interest Service Coverage Ratio (ISCR) : **1.75:1**
Debit Service Coverage Ratio (DSCR) : **1.25:1** (मियादी ऋण खातों में)
Asset Coverage Ratio (ACR) : **1.50 :1**

9. अधिग्रहण की स्वीकृति के लिए प्राधिकार :

यदि उपरोक्त समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा हो। संबंधित प्रत्यायोजित अधिकार द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक को न्यूनतम अधिग्रहण का अधिकार हो सकता है। उपरोक्त शर्तों से विचलन (Deviation in Take Over Norms) की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबंधक के प्रत्यायोजित अधिकारों के भीतर होने पर भी महाप्रबंधक द्वारा तथा महाप्रबंधक के प्रत्यायोजित अधिकारों के भीतर होने पर भी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

10. ऋण मूल्यांकन (Credit Appraisal) :

हालांकि समस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समान मानदण्ड लागू नहीं किए जा सकते है किन्तु मानदण्डों में समरूपता लाने के लिए मोटे तौर पर न्यूनतम मानदण्ड निम्नानुसार होने चाहिए :

i. KYC दिशानिर्देशों की अनुपालना के तहत आवेदकों के अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक परिपेक्ष्य, तकनीकी एवं व्यवसायिक दक्षता, व्यवसाय के प्रति ईमानदारी एवं सक्रियता आदि के अनुसार उनके अतीत Antecedent की पहचान किया जाना।
ii. भारतीय रिजर्व बैंक तथा ECGC के द्वारा जारी Willful defaulter एवं special Approval list (SAL) के माध्यम से जांच। CIBIL के माध्यम से रेटिंग एवं वर्तमान ऋणों की जांच।
iii. उत्पाद की मांग, प्रसिध्दि तथा बाजार में स्वीकार्यता एवं प्रतियोगियों के समक्ष गुणवत्ता का आकलन।
iv. केन्द्र एवं राज्य शासन की नीतियों के अनुसार आवश्यक अधोसंरचना जैसे सड़क, बिजली, परिवहन सुविधा, कच्चा माल, श्रमिक एवं बाजारों की उपलब्धता आदि का आकलन किया जाना।

v. योजना की आर्थिक एवं तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन।

vi. परियोजना लागत, प्रस्तावक का स्वयं का वित्तीय योगदान, आगामी 3 वर्षों हेतु अनुमान जिसमें Break Even Point (BEP), तरलता, Solvency तथा लाभप्रदता अनुपात भी शामिल होंगे।

11. कार्यशील पूंजी का आकलन :

कार्यशील पूंजी सीमा रू.5.00 करोड़ तक के लिए नायक समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्यशील पूंजी हेतु SME उद्यम को 3 माह के चक्रीय संचालन की धारणा पर अनुमानित कारोबार (Projected Turnover) की 20% राशि के समतुल्य न्युनतम आधार पर A/c सीमा तय की जा सकती है। चक्रीय संचालन अवधि 3 माह से कम होने पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर drawing power सुनिश्चित करना चाहिए। 3 माह से अधिक चक्रीय संचालन अवधि के प्रकरणों में प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर अधिकतम संभावित बैंक वित्त MPBF पध्दति के आधार पर कार्यशील पूंजी की गणना की जानी चाहिए। रू.10.00 लाख से अधिक कार्यशील पूंजी (Working Capital Limit) वाले खातों/प्रकरणों में अंकेक्षित/लेखा परीक्षित वित्तीय तुलन पत्र (Audited Balance sheet) के आधार पर उद्यम की प्रगति को आंकना चाहिए एवं तुलन पत्र के आंकड़ों एवं वास्तविक आंकडों में 5% से अधिक विचलन नहीं होना चाहिए, अधिक विचलन की स्थिति में शाखा को वास्तविक कारणों का पता लगाना चाहिए तथा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में लाना चाहिए। आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कारोबार (Project Sales) का आकलन पिछल 2 वर्षों के वास्तविक आंकडो के संकेतों आधार पर किया जाना चाहिए। आंकड़ों के सत्यापन हेतु चालान, बिक्री पर्ची, बिक्री कर, बिक्री के खाता बही, excise बही, बिजली बिल, खाते में बिक्री हेतु जमा राशियों का Credit Summation, आर्डर बुक, उद्योग की कार्यक्षमता (वर्तमान) वास्तविक एवं अनुमानित, बाजार संकेत आदि/अनुमानित आंकड़े गतवर्ष के आंकड़ों से 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रकरण विशेष में ये विचलन, LC आदि के माध्यम से अथवा पुख्ता Supply Order (वितरण बिक्री आदेशों) के सत्यापन पर, 25% से अधिक भी स्वीकार्य हो सकते है।

12. वित्तीय अनुपात :

चालू अनुपात (Current Ratio) : 1 : 1

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार चालू अनुपात 1.25 से 1.33:1 के स्थान पर SME हेतु 1:1 स्वीकार्य होगा।

ऋण निधि अनुपात Debt Equity Ratio (DER)/Quasi DER

रू. 5.00 करोड़ की नगद साख सीमा वाले MSME खातों हेतु :	4 : 1
रू. 5.00 करोड़ की नगद साख सीमा से अधिक वाले खातों हेतु :	3 : 1
मध्यम श्रेणी के उद्यम /उद्योगो हेतु DER/Quasi DER :	3 : 1
ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (Interest Service Coverage Ratio) ISCR :	1.50: 1
औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (Average Debt Service Coverage Ratio) DSCR :	1.25: 1
आस्ति कवरेज अनुपात (Asset Coverage Ratio) :	1.50: 1

स्वीकृति प्राधिकारी ऋण निधि अनुपात (DER) 4:1 तक निश्चित समय सीमा हेतु स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि उद्यम पर लागू पैरामीटर की अन्य समस्त शर्तों का अनुपालन किया जा रहा हो।

उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त में निम्न स्तर तक विचलन क्षेत्रीय प्रबंधक/महाप्रबंधक स्तर पर ही स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते किवह ऋण सीमा उनके स्वीकृत प्राधिकार के तहत हो शेष सभी प्रकरणों हेतु अध्यक्ष ही स्वीकृति कर्ता प्राधिकारी होंगे।

किसी एक शर्त में स्वीकार्य विचलन स्तर
– DER/Debt Equity Ratio : अधिकतम 4
– चालू अनुपात 0.80:1 (मानक 1:1)
– ऋण सेवा कवरेज अनुपात(समस्त प्रकरणो के लिए) 1:1 (मानक 1:5)
– ब्याज सेवा कवरेज अनुपात 1.25:1 (न्युनतम 1.50)

13. क्रेडिट रेटिंग मॉडल :

सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंको द्वारा एसएमई क्षेत्र के ऋणों की लागत को युक्ति संगत बनाने के लिए पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाए जाने का प्रावधान है। इसके तहतः

अ. रू.10.00 लाख से अधिक एवं रू.5.00 करोड़ से नीचे निधि एवं गैर निधि आधारित सीमाओ वाले ऋण प्रकरणो हेतु SBS Model के आधार पर ऋण लागत तय की जावेगी ।

ब. रू. 5.00 करोड़ से अधिक की ऋण सीमा वाले प्रकरणों हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अनुमोदित SMERA एवं CRISIL आदि रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर ब्याजदरों का निर्धारण किया जा सकता है।

14. मूल्य निर्धारण नीति (Pricing) :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय – समय पर जारी के दिशा निर्देशों के तहत उधारकर्ताओं द्वारा ऋणों के भुगतान में चूक के जोखिम आधार पर तय किए जावेंगे।

15. ऋण मानदण्ड (Credit Perameters) :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए बैंक के केपिटल फंड 15% (अधोसंरचना हेतु 20%) से अधिक नहीं होगा। समूह उधारकर्ताओं के मामलो में 40% तथा अधोसंरचना हेतु 50% ।

16. संम्पार्श्विक प्रतिभूति एवं मार्जिन मानदण्ड :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सूक्ष्म एवं लघू उद्यम श्रेणी के उधारकर्ताओं को किसी भी सम्पार्श्विक प्रतिभूति/तीसरे पक्ष की जमानत के बिना सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी हेतू कुल समस्त ऋण सीमा रू.10.00 लाख तक ऋण तथा अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले खातों को इस सीमा को रू.25.00 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। CGTMSE के तहत इस प्रकार के प्रकरणों में coverage ऋण सीमा रू.1.00 करोड़ तक उपलब्ध रहेगी। इसके तहत खुदरा व्यापार के अतिरिक्त समस्त् MSME उधारकर्ता शामिल होंगे।

वर्तमान में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्षेत्र के प्रति उधारकर्ता प्रति 1.00 लाख रू. तक रू.100/– एक बारगी शुल्क की दर से क्रेडिट गारंटी योजना के तहत CGTMSE के माध्यम से कवरेज उपलब्ध है। इसमें निम्नानुसार वार्षिक शुल्क देय होगा :–

एक समय गारंटी शुल्क (One Time Guarantee Fee)

रू.5.00 लाख तक 1.00%

रू.5.00 लाख से अधिक किन्तु रू.100.00 लाख तक 1.50%

वार्षिक सेवा शुल्क (Annual Service Fee)

रू. 5.00 लाख तक 0.50% वार्षिक

रू. 5.00 लाख से अधिक एवं 100 लाख तक 0.75%

16. आवेदन के लिए निपटान मानदण्ड :

एमएसएमई क्षेत्र मे सभी अग्रिमो के लिए रू.5.00 करोड़ तक प्रकरण के समस्त कागजात प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रकरण प्रसंस्करण की समय सीमा निर्धारित की जाती है :

- रू.25000/–तक के ऋण प्रकरणों हेतु 4 कार्यदिवस से अधिक नहीं
- रू.25000/– से अधिक किन्तु रू.10.00 लाख तक 8 कार्यदिवस से अधिक नहीं
- रू.10.00 लाख से अधिक किन्तु रू.1.00 करोड़ तक 12 कार्यदिवस से अधिक नहीं
- रू.1.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू.5.00 करोड़ तक 20 कार्यदिवस से अधिक नहीं

अस्वीकृति के मामले में अनुमोदन अगले उच्चतर प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा जोकि क्षेत्रीय प्रबंधक के स्तर से नीचे नहीं होगा।

शाखा स्तर पर प्रकरण प्राप्ति/निपटान/स्वीकृति/अस्वीकृति एवं संवितरण दिनांक हेतु अभिलेख रजिस्टर रखा जाना चाहिए।

17. टाईअप व्यवस्था :

एमएसएमई वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विनिर्माण इकाईयों उदाहरणार्थ TATA Motors Ltd, JCB India ltd, महिंद्रा नेवीस्टार लि. एवं अशोक लीलैंड लि. आदि के साथ SRTO क्षेत्र विशेष हेतु टाईअप व्यवस्था की जा सकेगी।

18. प्रत्यायोजित अधिकार :

बैंक द्वारा समय–समय पर तय प्रत्यायोजित अधिकारों के तहत लागू मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत किए जा सकते हैं।

19. विपणन नीति :

बैंक की सभी शाखाओं को उनके स्तर पर विद्यमान अधोसंरचना के तहत SME क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु शाखा स्तर पर प्रयास करना होंगे। अतिरिक्त संभावना वाले क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार एमएसएमई केन्द्रों की स्थापना की जासकेगी।

20. बीमार इकाईयों का पुनर्वास एवं पुनर्गठन :

बीमार इकाईयों के पुनर्वास के पूर्व यह आवश्यक है कि इकाईयों के बीमारी के कारणों की पहचान एवं इकाई की व्यवहार्यता का आकलन किया जाना चाहिए। नर्सिंग प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि इकाई द्वारा ब्याज एवं पिछले घाटे का बोझ वहन करने योग्य पर्याप्त अधिषेष उत्पन्न करने की क्षमता एवं व्यवहार्यता का आकलन भी किया जाना चाहिए।

नर्सिंग के तहत रू. 5.00 लाख से अधिक ऋण सीमा वाली इकाईयो की स्वास्थ्य निगरानी रिपोर्ट Borrowers Health Profile (BHP) को त्रैमासिक आधार पर निगरानी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

****